80

महत्वपूर्ण

संख्या– 621 /XXII/2014–4(2)2008

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

2– **समस्त विभागाध्यक्ष,**
उत्तराखण्ड।

सूचना अनुभाग देहरादूनः दिनांक 08 अगस्त, 2014

विषयः– निर्माण कार्यो से सम्बन्धित निविदाओं के विज्ञापन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना विभाग के शासनादेश संख्या–449/XXII/2014–4(2)2008, दिनांक 28 मई, 2014 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में परिलक्षित हो रही कठिनाईयों के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 01 अगस्त, 2014 का कार्यवृत्त संख्या–605/XXII/2014, दिनांक 05 अगस्त, 2014 संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन किये जाने हेतु अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– (1)/XXII/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4– महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– एन.आई.सी., सचिवालय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
अपर सचिव।

संख्या–449/XXII/2014–4(2)2008

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

सूचना अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 28 मई, 2014

विषयः– निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निविदाओं के विज्ञापन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय निर्माण कार्यो से सम्बन्धित निविदाएं सूचना विभाग के स्थान पर सम्बन्धित विभागों के द्वारा ही यथाप्रक्रिया समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाय तथा निविदा आमंत्रित करने की अवधि 15 दिन से अधिक न रखी जाय।

2– विभिन्न विभागों के विज्ञापन, जो कि राज्य के विकास कार्यो/नीति/योजनाओं/शिलान्यास/लोकार्पण आदि के प्रचार–प्रसार से सम्बन्धित है, पूर्व की भांति ही सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित किये जायेंगे।

3– शासनादेश संख्या–452/XXII/2011–4(2)2008, दिनांक 21 नवम्बर, 2011 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– (1)/XXII/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4– महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– एन.आई.सी., सचिवालय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
अपर सचिव।

निविदाओं के प्रकाशन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01 अगस्त, 2014 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :–

(1) श्री विनोद फोनिया, सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
(2) श्री रविनाथ रामन, अपर सचिव/महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
(3) श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव, वित्त/लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(4) श्री अर्जुन सिंह, अपर सचिव, पेयजल/वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
(5) श्री सुनील श्री पांथरी, संयुक्त सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।

मा0 मंत्रिमण्डल के निर्णय दिनांक 20 मई, 2014 में शासकीय निर्माण कार्यो से संबंधित निविदायें सूचना विभाग के स्थान पर संबंधित विभागों द्वारा ही यथाप्रक्रिया समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाय और निविदा आमंत्रित करने की अवधि 15 दिन से अधिक न रखी जाय। सूचना विभाग द्वारा राज्य के विकास कार्यों/नीति/योजनाओं/शिलान्यास/लोकार्पण आदि के प्रचार–प्रसार से संबंधित विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाय। इस संबंध में विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :–

(1) उपरोक्त मा. मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार शासकीय निर्माण कार्यों के अतिरिक्त अन्य निविदा सूचनायें जैसे सामान क्रय, सेवायें तथा नोटिस आदि से संबंधित सूचनायें भी संबंधित विभाग द्वारा ही समाचार–पत्रों में यथाप्रक्रिया के अनुसार प्रकाशित कराई जाय।

(2) सूचना विभाग द्वारा केवल राज्य के विकास कार्यों/नीति/योजनाओं/शिलान्यास/लोकार्पण आदि के प्रचार–प्रसार से संबंधित विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाय।

(3) मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 20 मई, 2014 को लिये गये निर्णय में निविदा आमंत्रित करने की अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है। इस अवधि को अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन कराया जाना आवश्यक है, जिस हेतु वित्त विभाग से कार्यवाही करने हेतु प्रकरण संदर्भित कर दिया जाय।

(4) कतिपय विभागों द्वारा यह अवगत कराया गया कि निविदाओं के प्रकाशन के लिये विभागीय बजट में धनराशि उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में विचार–विमर्श किया गया कि जिन निर्माण कार्यों से संबंधित निविदाओं का प्रकाशन किया जाना हो उसके लिये डी.पी.आर. तैयार करते समय विज्ञापन व्यय का समावेश भी डी.पी.आर. में किया जाय तथा जिन विभागों के पास निविदा सूचनाओं के विज्ञापन प्रकाशन के लिये बजट उपलब्ध नहीं है वह विभाग बजट व्यवस्था हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(5) निविदा सूचनाओं के प्रकाशन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली–2008 में व्यवस्था प्राविधानित है। सभी विभागों की सुविधा के लिये समाचार–पत्रों में निविदा सूचनाओं के प्रकाशन हेतु समाचार–पत्रों का वर्गीकरण किये जाने हेतु सूचना निदेशालय द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या– 605 (1)/XXII/2014, दिनांक 5 अगस्त, 2014

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।